विभिन्न प्रकार की नौकरियाँ

वर्तमान दौर में पैदा होने वाली समस्याओं के हल के लिए स्थापित संस्था इस्लामिक फ़िक्ह अकेडमी इन्डिया का बीसवां इन्टरनेशनल फ़िक्ही सेमिनार प्रसिद्ध इतिहासिक शहर रामपूर में दिनांक 5-7 मार्च 2011 ई0 को आयोजित हुआ, इस सेमिनार में दूसरे मुद्दों के साथ विभिन्न प्रकार की नौकरियों के बारे में भी बहस की गयी और आम सहमति से निम्न प्रस्ताव पारित किए गए।

1- अ- सेना का बुनियादी उद्देश्य देश की सीमाओं की सुरक्षा और असाधारण हालात में शान्ति व्यवस्था की स्थापना है। ये दोनों उद्देश्य इस्लामी शरीअत में भी अपेक्षित हैं इस लिए जन सामान्य के हितों को देखते हुए सेना की नौकरी मुसलमानों के लिए जायज़ है अलबत्ता यथा संभव ग़ैर शरई क़दम उठाने से बचना ज़रूरी है।

ब- पुलिस विभाग भी असल में शान्ति व्यवस्था स्थापित करने और नागरिकों की जान व माल की हिफ़ाज़त के लिए होता है इस लिए इसकी भी नौकरी जायज़ है लेकिन यह ज़रूरी है कि अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए किसी प्रकार का ज़ुल्म व अत्याचार न किया जाए।

स- देश की सुरक्षा, शान्ति व्यवस्था की स्थापना और अपराधों की रोक थाम के लिए खुफ़िया विभाग की नौकरी सही है अलबत्ता हर ऐसी कार्य विधि से बचना ज़रूरी है जो ग़ैर शरई और मानव अधिकारों के विरुद्ध हो।

द- न्याय पालिका का उद्देश्य न्याय दिलाना और ज़ुल्म व अत्याचार की रोक थाम है अतः न्याय पालिका की नौकरी ठीक है।

ध- हुकूमत की ओर से जनता के कल्याण व भलाई के उद्देश्य से विभिन्न कर लगाए जाते हैं और उनके लिए विभाग व संस्थान स्थापित हैं ऐसे संस्थानों की नौकरी शरई सीमाओं का ध्यान रखते हुए जायज़ है।

2- अ- बैंक का बुनियादी काम सूदी लेन देन का है इस लिए उसूली तौर पर बैंक या किसी सूदी कारोबार के इदारे की नौकरी जायज़ नहीं है।

ब- बैंक की ऐसी नौकरी जिसका संबंध प्रत्यक्ष में सूदी मामलों (सूद के लिखने और लेने व देने आदि) से न हो ऐसी नौकरी की गुंजाइश है और इससे भी बचना बेहतर है।

स- बैंक के लिए इमारत आदि का किराया पर देना मकरूह है।

द- इन्शोरेन्स कम्पनियां आम तौर से सूद व जुवे का काम करती हैं अतः ऐसी कम्पनियां जिनमें सूद व जुवे या किसी एक का आयोजन हो उनकी नौकरी जायज़ नहीं है।

ध- इन्शोरेन्स की वे कम्पनियां जिनका मामला सूद व जुए से साफ़ हो उनकी नौकरी सही है कि जान व माल की सुरक्षा इस्लाम के उद्देश्यों में से है।

न- शराब बनाने के काम व कारख़ाने में किसी तरह की भी नौकरी नाजाइज़ है।

व- ऐसी चीज़ें जिनका इस्तेमाल शराब बनाने के लिए किया जा सकता है उनका शराब बनाने का काम करने वालों के हाथों बेचना और ऐसे कामों की नौकरी की गुंजाइश है मगर इससे बचना बेहतर है।

3- अ- ऐसे सुपर बाजार की नौकरी जिसमें शराब के अलावा अधिकता से जायज़ चीज़ें बेची जाती हों और नौकरी का संबंध सीधे तौर पर शराब से न हो तो ऐसी नौकरी जायज़ है।

ब- इस्लामी दृष्टिकोण से मिली जुली (ब्व म्कनबंजपवद) शिक्षा प्रणाली सही नहीं है अलबत्ता जहाँ पृथक शैक्षिक प्रणाली की सुविधा न हो वहां ज़रूरत पड़ने पर इससे लाभ उठाने की गुंजाइश है और मिली जुली शिक्षा स्थली जहां महिलाओं को शिक्षा देने की नौबत आए वहां पठन पाठन की नौकरी की गुंजाइश है अलबत्ता शरई सीमाओं व निर्देशों का ध्यान रखना ज़रूरी है।

स- यह सेमिनार मुसलमानों से अपील करता है कि वे ऐसे शिक्षा संस्थान स्थापित करें जो पृथक प्रणाली पर आधारित हों और उनमें शरई सीमाओं व निर्देशों की पूरी रिआयत हो और शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिहाज़ से भी उच्च स्तर को पूरा करते हों, ताकि मुसलमान छात्र एवं छात्राएं उन बुराइयों से बचते हुए शिक्षा प्राप्त कर सकें जो धीरे धीरे आधुनिक शैक्षिक संस्थानों का हिस्सा बनते जा रहे हैं।

द- वकालत का पेशा अपने आप में जायज़ है अलबत्ता मुक़द्दमों की पैरवी और हक़दार का हक़ मारने के लिए वकालत और झूठ बोलना आदि जायज़ नहीं है।

ध- उपचार (डाक्टरी) मानव सेवा और आय का बेहतरीन साधन है, हकीम का नौकरी के तौर पर किसी अस्पताल में काम करना और इलाज करना जायज़ है।

न- बिना ज़रूरत किसी रोगी का टेस्ट कराना, आपरेशन प्रस्तावित करना या किसी दवा का देना मात्र आय की वृद्धि के लिए जायज़ नहीं है ऐसा करना बेइमानी और ग़लत होगा और इस प्रकार हासिल की हुई दौलत जायज़ नहीं होगी।

2- मर्द रोगी के लिए मर्द चिकित्सक और महिला रोगी के लिए महिला चिकित्सक होना चाहिए। अलबत्ता ज़रूरत के अवसर पर पुरूष महिला का इलाज कर सकता है।

3- बिना ज़रूरत किसी के शरीर के ऐसे हिस्से पर निगाह डालना या छूना जो सतर में दाखिल हो जायज़ नहीं है, अलबत्ता ज़रूरत के समय चिकित्सक के लिए रोगी के ऐसे हिस्से को जिसका संबंध रोग से हैं मजबूरी में देखना व छुना जायज़ है।

4- होटल की नौकरी भी अपने आप में जायज़ है, होटल में ठहरने वाले लोगों का अपने तौर पर उसमें हराम चीज़ों का इस्तेमाल होटल के मालिक के लिए हासिल होने वाले किराए पर प्रभावी नहीं होगा इसकी मज़दूरी व किराया जायज़ हैं।

5- होटल मालिक या उसके किसी नौकर के द्वारा हराम चीज़ों की उपलब्धता, गुनाह में सहयोग के तौर पर मानी जाएगी और इसपर मेहनताना लेना जायज़ नहीं होगा।

☆☆☆